

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.


राजस्व वाद संख्या - 30/2026

अनवान

1. अहमद अली पुत्र हाजी लतीफ  
जाति मुसलमान निवासी सोखरू  
जिला बाड़मेर
2. सैंहत पत्नी हाजी लियाकत जाति  
मुसलमान निवासी देरासर जिला  
बाड़मेर

बनाम

तहसीलदार रामसर



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131, 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा होथियाणियों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर के खसरा नंबर 656/611 किस्म बा.दो. रकबा 0.0160 हैक्टेयर समर्पण भूमि की किस्म परिवर्तन कर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की मौका व रेकर्ड जांच रिपोर्ट तहसीलदार रामसर से ली गई। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/2026/264 दिनांक 25.02.2026 जो दिनांक 04.03.2026 को प्राप्त हुई।

अतः तहसीलदार रामसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु समर्पण की गई है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि नैशनल हाईवे 25ई के पास है जो कि खातेदारान द्वारा उक्त नैशनल हाईवे से अपने खसरे तक आवागमन के लिए रास्ते हेतु राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण करवायी गई है। अतः तहसीलदार रामसर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा होथियाणियों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर के खसरा नंबर 656/611 किस्म बा.दो. रकबा 0.0160 हैक्टेयर समर्पण भूमि की किस्म बा.सो. को खारिज कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राम लाल मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रामसर

दिनांक - 04/3/2026



क्रमांक- कोर्ट/2026/115-16

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रामसर को सूचनार्थ।
2. प्रार्थीगण सर्वश्री .....

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी रामसर

